नियमावली

अध्यापक शिक्षा के पूर्णसत्रीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु

आवेदन.पत्र तथा प्रवेश.निर्देशिका

नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ें। दिए गए नियम स्वीकार हों, तभी आवेदन-पत्र भरें।
नियमों में कोई भी छूट किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जाएगी।

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

दिल्ली–हैदराबाद–गुवाहाटी–शिलांग–मैसूर–दीमापुर–भुवनेश्वर–अहमदाबाद

© केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

मूल्य : **रु० 100.00**

केंद्रीय हिंदी संस्थान, हिंदी संस्थान मार्ग, आगरा–282 005 द्वारा प्रकाशित और
मैसर्स : शिवा ट्रेडर्स, राजामंडी, आगरा–2 से मुद्रित।

विषय–सूची

क्र.सं.		पृष्ठ सं.
1.	संस्थान परिचय	05
2.	संस्थान के अध्यापक शिक्षा विभाग में चलनेवाले पूर्णसत्रीय पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं उनका सामान्य विवरण	09
3.	पाठ्यक्रमों की रूपरेखा	
	(1) हिंदी शिक्षण निष्णात (आगरा मात्र)	12
	(2) हिंदी शिक्षण पारंगत (आगरा, हैदराबाद, भुवनेश्वर एवं संबद्ध महाविद्यालय–मैसूर, गुवाहाटी, आइजोल)	12
	(3) हिंदी शिक्षण प्रवीण (आगरा, हैदराबाद, गुवाहाटी, दीमापुर)	00
	(4) त्रिवर्षीय हिंदी शिक्षक डिप्लोमा (दो वर्ष दीमापुर में, तीसरे वर्ष आगरा में)	00
	(5) द्विवर्षीय हिंदी शिक्षक डिप्लोमा (आइजोल)	00
	(6) विशेष गहन हिंदी शिक्षक डिप्लोमा (दीमापुर)	00
4.	प्रवेश नियम	14
5.	परीक्षा नियम	17
6.	संस्थान नियम	18
7.	छात्रावास नियम	19
8.	चिकित्सा नियम	22
9.	पुस्तकालय नियम	22
10.	आवेदकों के लिए आवश्यक सूचनाएँ	00
11.	प्रवेश–परीक्षा के प्रश्न–पत्रों का प्रारूप	00

सरस्वती वंदना

वर दे, वीणावादिनि वर दे!
प्रिय स्वतंत्र–रव, अमृत–मंत्र नव,
भारत में भर दे!

काट अंध–उर के बंधन–स्तर,
बहा जननि ज्योतिर्मय निर्झर;
कलुष–भेद–तम हर, प्रकाश भर,
जगमग जग कर दे!

नव गति, नव लय, ताल–छंद नव,
नवल कंठ, नव जलद–मंद्र–रव;
नव नभ के नव विहग वृंद को,
नव पर, नव स्वर दे!

1– संस्थान-परिचय

संविधान के अनुच्छेद 351 में दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार राष्ट्र की संपर्क भाषा/संघ की राजभाषा हिंदी को अपनी विविध भूमिकाएँ निभाने में समर्थ और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय ने 15 मार्च, 1960 को एक संकल्प द्वारा केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा नामक एक स्वायत्तशाषी संस्था की स्थापना की। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा ने उक्त संवैधानिक निर्देश के अनुपालन हेतु शैक्षिक, सांस्कृतिक और व्यावहारिक स्तरों पर सुनियोजित अनुसंधान द्वारा औपचारिक, सहऔपचारिक एवं अनौपचारिक रूप में हिंदी शिक्षण–प्रशिक्षण, लक्ष्य भाषा एवं स्रोतभाषा के रूप में इसके विश्लेषण, सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के साथ इसके तुलनात्मक अध्ययन तथा विभिन्न भाषा–भाषी हिंदी पढ़ने वालों के लिए प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षण सामग्री निर्माण के कार्यक्रम को प्रारंभ किया। **मंडल ने अपनी शैक्षिक गतिविधियों के संचालन हेतु केंद्रीय हिंदी शिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की तथा इसके कार्यक्षेत्र की विस्तृति एवं विशिष्टता को देखते हुए 21 अक्टूबर, 1963 से इस महाविद्यालय का नाम केंद्रीय हिंदी संस्थान कर दिया।** आरंभिक दिनों में संस्थान का प्रमुख कार्य अहिंदी भाषी क्षेत्रों के महाविद्यालय और विद्यालय स्तर पर हिंदी पढ़ाने के लिए योग्य, सक्षम एवं प्रभावशाली हिंदी अध्यापकों को प्रशिक्षित करना था। आगे चलकर सरकारी आदेशों के अनुपालन हेतु एवं विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के अनुरोध पर संस्थान ने हिंदी के शैक्षिक प्रचार–प्रसार और विकास को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य क्षेत्रों और प्रकार्यों को और विस्तृत किया। संस्थान ने शिक्षणपरक अनुसंधान, हिंदी अध्यापक प्रशिक्षणपरक अनुसंधान, हिंदी भाषापरक शोध, भाषाविज्ञान तथा तुलनात्मक साहित्य संबंधी शोध आदि विषयों में वैज्ञानिक अनुसंधानपरक कार्यक्रमों को संचालित करना तथा विभिन्न सरकारी निकायों की राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियों में मार्गदर्शन आदि करना शुरू किया। इसके साथ ही साथ विविध स्तर के पाठ्यक्रमों, शैक्षिक सामग्री, अध्यापक निर्देशिकाएँ इत्यादि तैयार करने का कार्य भी प्रारंभ हुआ। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी शिक्षण हेतु आवश्यक पाठ्यक्रम बनाने एवं कार्यक्रम सचांलित करने का दायित्व भी सरकार ने संस्थान को सौंपा, जो आज एक स्वतंत्र विभाग के अतंर्गत व्यापक स्तर पर संचालित किया जा रहा है। इन सब कार्यों से संस्थान का कार्यक्षेत्र व्यापक होता गया। उसे देश में ही नहीं, अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति और मान्यता प्राप्त हुई।

संस्थान के प्रमुख शैक्षिक पाठ्यक्रम निम्नलिखित हैं :

शिक्षण–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

1. **हिंदी अध्यापक शिक्षापरक पाठ्यक्रम**–हिंदी के अध्ययन–अध्यापन का स्तर उन्नत करने के लिए, अध्यापकों तथा अध्यापक प्रशिक्षकों को अध्यापक शिक्षा के विषयों के अतिरिक्त अन्य भाषा शिक्षण की अधुनातन विधियों और तकनीकों तथा हिंदी भाषा और साहित्य शिक्षण की प्रविधियों का ज्ञान कराने के लिए अध्यापक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा माध्यम से निम्नलिखित नियमित एकवर्षीय प्रशैक्षणिक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

(i) **हिंदी शिक्षण निष्णात**– एम.एड. स्तरीय पाठ्यक्रम

(ii) **हिंदी शिक्षण पारंगत**– बी.एड. स्तरीय पाठ्यक्रम

(iii) **हिंदी शिक्षण प्रवीण**– बी.टी.सी. स्तरीय पाठ्यक्रम

(iv) **त्रिवर्षीय हिंदी शिक्षण डिप्लोमा**– प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का शिक्षणपरक कार्यक्रम हिंदी शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थान, दीमापुर (नागालैंड) में चलाया जाता है। तीसरे वर्ष छात्र अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षण हेतु आगरा आते हैं और इस डिप्लोमा को उत्तीर्ण करने बाद नागालैंड में हिंदी शिक्षक पद पर नियुक्ति पाते हैं।

(v) **द्विवर्षीय हिंदी शिक्षण डिप्लोमा**– मिजोरम हिंदी अध्यापक शिक्षा संस्थान (MHTTI) आइजोल द्वारा प्रांतीय स्तर पर हिंदी अध्यापकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु चलाया जाता है।

(vi) **विशेष गहन पाठ्यक्रम**–उच्चशिक्षा प्राप्त सेवारत ऐसे हिंदी अध्यापक जिनके पास हिंदी विषय में कोई उपाधि नहीं होती किंतु हिंदी में व्यावहारिक दक्षता होने के कारण हिंदी अध्यापक पद पर राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किया गया होता है इस पाठ्यक्रम में प्रतिनियुक्ति के आधार पर आते हैं।

2. **विदेशों में हिंदी प्रचार–प्रसार**– भारत सरकार की विदेशों में हिंदी प्रचार–प्रसार योजना एवं सांस्कृतिक आदान–प्रदान के अंतर्गत चुने गए विदेशी छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं :

    (i) हिंदी भाषा दक्षता प्रमाण पत्र

    (ii) हिंदी भाषा दक्षता डिप्लोमा

    (iii) हिंदी भाषा दक्षता उच्च डिप्लोमा

    (iv) स्नातकोत्तर हिंदी डिप्लोमा

3. **हिंदी दक्षता पाठ्यक्रम** –इच्छुक कर्मचारियों, अधिकारियों आदि के लिए अल्प अवधि के इस पाठ्यक्रम को अहिंदी भाषी प्रदेश के केंद्रों में चलाने की कार्रवाई की जा रही है।

4. **सांध्यकालीन पाठ्यक्रम (स्व–वित्तपोषित)**

    (i) अनुवाद सिद्धांत एवं व्यवहार डिप्लोमा

    (ii) जनसंचार एवं पत्रकारिता डिप्लोमा

    (iii) अनुप्रयुक्त हिंदी भाषाविज्ञान डिप्लोमा

    (iv) हिंदी रोजगार परियोजना

संस्थान के अन्य कार्यक्रम

1. अनुसंधानपरक कार्यक्रम – केंद्रीय हिंदी संस्थान का एक प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यों को निरंतर अग्रसर करना है।

   (i) **हिंदी शिक्षण की अधुनातन प्रविधियों के विकास के लिए शोध**

   (ii) **हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषायों का तुलनात्मक एवं व्यतिरेकी अध्ययन**

   (iii) **हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में आधारभूत एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान**

   (iv) **हिंदी भाषा के आधुनिकीकरण और भाषा–प्रौद्योगिकी के विकास के उद्देश्य से अनुसंधान**

   (v) **हिंदी का समाज–भाषावैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन**

   (vi) **प्रयोजनपरक हिंदी से संबंधित शोधकार्य**

   उपर्युक्त अनुसंधानपरक कार्यों के दौरान द्वितीय भाषा एवं विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के लिए उपयोगी शिक्षण सामग्री का निर्माण कार्य भी संस्थान द्वारा किया जाता है।

2. **विशिष्ट व्यवहार क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी का शिक्षण** – केंद्र सरकार के अधिकारियों, बैंक कार्मिकों आदि को हिंदी भाषा के व्यवहार में दक्ष बनाने के लिए सामग्री निर्माण तथा राजभाषा के प्राध्यापकों एवं अधिकारियों का प्रशिक्षण।

3. **प्रयोजनमूलक हिंदी का अनुसंधानमूलक सर्वेक्षण** – मानक हिंदी के प्रयोजनमूलक भाषा–भेदों, वैज्ञानिक हिंदी, तकनीकी हिंदी, व्यापार–वाणिज्य की हिंदी, पत्रकारिता की हिंदी का सर्वेक्षण द्वारा स्वरूप निर्धारण और उनसे संबंद्ध शैलियों के विश्लेषण से प्रयोजनमूलक हिंदी के विकास की योजनाओं को अनुसंधानपरक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना।

4. **शिक्षण सामग्री निर्माण और भाषा विकास** – केंद्रीय हिंदी संस्थान शिक्षक–प्रशिक्षक और अनुसंधान के अलावा हिंदीतर राज्यों के विद्यार्थियों के लिए हिंदी शिक्षण हेतु उपयोगी पाठ्यपुस्तकों, दृविभाषी कोशों, व्याकरणों का निर्माण आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए करता है।

   (i) **हिंदीतर राज्यों और जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों के लिए हिंदी शिक्षण सामग्री निर्माण**

   (ii) **हिंदीतर राज्यों के लिए हिंदी का व्यतिरेकी व्याकरण एवं द्विभाषी अध्येता कोशों का निर्माण**

   (iii) **विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण पाठ्यपुस्तकों का निर्माण**

   (iv) **कंप्यूटर साधित हिंदी भाषा शिक्षण सामग्री का निर्माण**

   (v) **दृश्य–श्रव्य माध्यमों से हिंदी शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री का निर्माण**

   (vi) **हिंदी तथा हिंदीतर भारतीय भाषाओं के द्विभाषी/त्रिभाषी शब्दकोशों और विश्वकोश का निर्माण**

5. **परामर्श सेवा** – विभिन्न स्तरों पर हिंदी शिक्षण के स्तर को उन्नत करने के प्रयत्नों में विभिन्न सरकारी संस्थाओं, शैक्षिक उपक्रमों एवं शिक्षणेतर निकायों को विशेषज्ञतापूर्ण परामर्श दिया जाता है।

संस्थान के विस्तापरक कार्यक्रम

(i) संस्थान के मुख्यालय सहित विभिन्न केंद्रों में सपंर्क, समन्वयन और वैचारिक आदान–प्रदान करने के उद्देश्य से **विशेष व्याख्यान** एवं **कार्यशालाओं** का आयोजन किया जाता है।

(ii) संस्थान के विभिन्न केंद्रों और मुख्यालयों में जन संपर्क, अखिल भारतीय संवाद एवं व्यापक भाषाई सांस्कृतिक आदान–प्रदान के उद्देश्य से प्रतिवर्ष (i) **भारतीय प्रकाशन** की समस्याओं (ii) **लघु पत्रिकाओं** की समस्याओं (iii) **कला और साहित्य के अंतर्संबंध** (iv) **स्त्री विमर्श** और (v) **दलित, पिछड़े** वर्गो **एवं आदिवासी साहित्यों** की समस्याओं पर पाँच **विकास संगोष्ठियों** का आयोजन करता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष (i) **भाषाविज्ञान** (ii) **सूचना प्रौद्योगिकी** (iii) **हिंदी शिक्षण** (iv) **मीडिया एवं** (v) **साहित्य** के विषयों पर विभिन्न केंद्रों में पाँच राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन भी किया जाता है।

(iii) विद्यार्थियों के लिए अखिल भारतीय **हिंदी वाद-विवाद** एवं **रचनात्मक लेखन** प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।

(iv) विद्यार्थियों के लिए **सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं** का अयोजन-हिंदी काव्य आवृत्ति, काव्य संगीत, प्रादेशिक एवं विश्व के विभिन्न देशों के लोकगीत-संगीत, काव्य-आधारित नृत्य एवं लघु नाटक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है।

संस्थान के प्रकाशन

संस्थान द्वारा हिंदी भाषा एवं साहित्य, भाषाविज्ञान, अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान, तुलनात्मक एवं व्यतिरेकी अध्ययन, भाषा एवं साहित्य शिक्षण, कोश विज्ञान आदि से संबंधित विभिन्न विषयों पर **उपयोगी पुस्तकों का प्रकाशन** किया गया है। अब तक 150 से अधिक पुस्तकें संस्थान द्वारा प्रकाशित की जा चुकी हैं। साथ ही विभिन्न स्तरों एवं अनेक प्रयोजनों की पाठ्यपुस्तकों, सहायक पुस्तकों तथा अध्यापक निर्देशिकाओं का भी प्रकाशन किया गया है।

संस्थान द्वारा निम्नलिखित पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है।

(i) **गवेषणा**- अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान, हिंदी शिक्षण और साहित्य की त्रैमासिक शोध पत्रिका (अब तक 88 अंक प्रकाशित हो चुके हैं।)
(ii) **मीडिया**- दिल्ली केंद्र की त्रैमासिक पत्रिका (2006 से प्रकाशन)।
(iii) **समन्वय पूर्वोत्तर**-गुवाहाटी, शिलांग एवं दीमापुर केंद्रों की संयुक्त अर्धवार्षिक पत्रिका (2007 से प्रकाशन)।
(iv) **समन्वय दक्षिणायन**-हैदराबाद और मैसूर केंद्रों की संयुक्त वार्षिक पत्रिका (प्रस्तावित)
संस्थान का त्रैमासिक बुलेटिन है **संस्थान समाचार।**

उपुर्यक्त के अलावा विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों की पत्रिकाएँ **हिंदी विश्व भारती** और **समन्वय** का प्रकाशन वार्षिक रूप से किया जाता है।

संस्थान की प्रमुख परियोजनाएँ

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के **अनुसंधान एवं भाषा विकास विभाग** तथा **सूचना और भाषा प्रौद्योगिकी विभाग** द्वारा संचालित कुछ विशेष परियोजनाएँ इस प्रकार हैं :

1. हिंदी कार्पोरा परियोजना - केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा एवं भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी की

प्रकाशित पुस्तकों से और ऑन लाइन सामग्री–संकलन का कार्य किया जा रहा है। त्रिवर्षीय परियोजना के दूसरे वर्ष के अंतर्गत 20 मिलियन (20 करोड़) शब्दरूप संकलन का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। अब संकलित सामग्री का ऑटोमैटिक व्याकरणिक कोटि निर्धारण किया जा रहा है। इस संकलित सामग्री का उपयोग करते हुए **डिजीटल हिंदी/अंग्रेजी शब्दकोश** और **हिंदी की आधारभूत शब्दावली** का निर्माण किया जा रहा है।

2. **सी.डी. निर्माण परियोजना** – (i) इस योजना के अंतर्गत कई चरणों में कार्य प्रस्तावित है। फिलहाल 22 साहित्यकारों की रचनाओं पर आधारित कविता पाठ, कविता आवृत्ति और संगीत की सी.डी. बननी हैं। इन साहित्यकारों में कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, नज़ीर, ग़ालिब, फिराक़, गोरखपुरी, निराला, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, नागार्जुन, त्रिलोचन आदि प्रमुख हैं।(ii) हिंदी भाषा शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया सी.डी. का निर्माण किया जा रहा है।
3. **हिंदी लोक शब्दकोश परियोजना**– इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत हिंदी परिवार की 48 बोलियों, उपभाषाओं/भाषाओं के शब्दकोश निर्माण की योजना है, ताकि लोक भाषाओं के उन शब्दों की रक्षा हो सके जिनमें अदभुत नाद सौंदर्य और भाव सौंदर्य है। यह हिंदी की जड़ों को सुरक्षित करने की ही नहीं, हिंदी की अखंडता को भी मजबूत करने की योजना है। प्रथम चरण में ब्रज, अवधी, बुंदेली, भोजपुरी, राजस्थानी और छत्तीसगढ़ी के कोश निर्माण का कार्य नई तकनीक से किया जा रहा है।
4. **पूर्वोत्तर लोक साहित्य परियोजना** – उत्तर–पूर्व की भाषाओं में बिखरी लोक कथाओं के संकलन और उनके हिंदी अनुवाद के प्रकाशन की परियोजना भी शुरू की गई है, ताकि हिंदी के माध्यम से उत्तर–पूर्व के लोग अपनी साझी विरासत का संरक्षण कर सकें।

संस्थान के हिंदी सेवी सम्मान

यह योजना सन् 1989 में प्रारंभ हुई। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के उन्नयन, विकास एवं प्रचार–प्रसार हेतु उत्कृष्ट कार्यों के लिए हर वर्ष 14 समर्पित विद्वानों को संस्थान द्वारा एक लाख रुपए, शॉल तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित/पुरस्कृत किया जाता है। इन पुरस्कारों का विवरण निम्न प्रकार है :

1. **गंगाशरण सिंह पुस्कार**
2. **गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार**
3. **आत्माराम पुरस्कार**
4. **सुब्रह्ण्यम भारती पुरस्कार**
5. **महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार**
6. **डॉ. जार्ज ग्रियर्सन पुरस्कार**
7. **पद्भभूषण डॉ. मोटूरि सत्यनारायण पुरस्कार**

संस्थान का पुस्तकालय

संस्थान का पुस्तकालय भाषाविज्ञान, अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान, भाषा शिक्षण और हिंदी साहित्य के विभिन्न विषयों की पुस्तकों के विशेषीकृत संग्रह की दृष्टि से हिंदी के सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालायों में से एक है। इसमें लगभग एक लाख पुस्तकें उपलब्ध हैं और लगभग 75 पत्रिकाएँ (शोध एवं अन्य) पुस्तकालय में हर महीने आती हैं। इसका नया संदर्भ प्रभाग अद्वितीय है। हर महीने कवि/लेखकों की जन्म जयंती पर साहित्यिक परिचर्चा और सप्ताहव्यापी पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है।

संस्थान से संबद्ध प्रशिक्षण महाविद्यालय

1. राजकीय हिंदी शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालय, उत्तर गुवाहाटी (असम)
2. राजकीय हिंदी शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालय, आइजोल (मिजोरम)
3. राजकीय हिंदी शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालय, मैसूर (कर्नाटक)
4. राजकीय हिंदी शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थान, दीमापुर (नागालैंड)

संस्थान द्वारा नागालैंड सरकार के अनुरोध पर वहाँ के हिंदी अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए त्रिवर्षीय हिंदी शिक्षक

डिप्लोमा, पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिसकी शिक्षण सामग्री भी संस्थान द्वारा निर्मित की गई है। मिजोरम सरकार के अनुरोध पर संस्थान द्वारा एक द्विवर्षीय हिंदी शिक्षक डिप्लोमा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। उपर्युक्त दोनों पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ संस्थान संचालित करता है तथा समय–समय पर उनके पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण संस्थान की पाठ्यक्रम समिति और विद्या–सभा द्वारा किया जाता है। आज केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी के अध्ययन–अध्यापन, मूलभूत अनुसंधान तथा अनुप्रयुक्त हिंदी भाषाविज्ञान के क्षेत्र में उच्चस्तरीय संस्था का रूप धारण कर चुका है।

2– संस्थान के अध्यापक शिक्षा विभाग में चलने वाले पूर्णसत्रीय पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं उनका विवरण

मान्यता–विवरण

No. F.3-28/2003-DI (L)
GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Human Resource Development
Department of Secondary & Higher Education
(Language Division)

.... New Delhi, 25th November, 2003

Subject : Recognition of the examination of Kendriya Hindi Sansthan, Agra for purpose of employment of Hindi Teachers.

1. The undersigned is directed to say that for teaching Hindi on Scientific lines, producing efficient Hindi Teachers and providing facilities for research in Hindi Teaching Government of India established under the Ministry of Education (now Ministry of Human Resource Development) a fully funded Autonomous Organisation namely the "Kendriya Hindi Shikshan Mandal at Agra, in the year 1960. For achieveing the aforesaid objectives, the Mandal runs the 'Kendriya Hindi Sansthan' With its regional Centres in Delhi, Mysore, Hyderabad, Guwahati and Shillong.

2. The question of recognition of the Teachers training courses viz. Hindi Shikshan Praveen, Hindi Shikshan Parangat and Hindi Shikshan Nishnat run by the K.H.S.M., Agra for the purpose of employment under the Central Government was considered in the Minsitry some years ago. In the year 1967. Government of India decided in consultation with the U.P.S.C. and the Ministry of Home Affairs to recognize the following courses of study of the K.H.S.M., Agra as equivalent to those note against each for the purpose of employment under the Central Government vide Ministry of Education, New Delhi OM No. 24-6/64-H.I., Dated 12th April, 1967, (Copy enclosed) :

	Name of the Course	**Equivalent to**
1.	Hindi Shikshan Praveen	Teacher's Training Certificate/Diploma.
2.	Hindi Shikshan Parangat	B.T./B.Ed. Degree of an Indian University

3. Hindi Shikshan Nishnat — M.Ed. Degree of an Indian University.

3. The Recognition of the examinations as mentioned will however, was limited to specific purpose of teaching Hindi in High School/Higher Secondary School/Colleges and training Institution etc.

4. In pursuance of Ministry's this letter, State/U.T. Administrations also issued necessary orders for recognition of aforesaid courses in their respectively States/ U.Ts. The recognition of aforesaid courses of the K.H.S.M.,-Agra Still continues. States are again requested to take necessary action in this regard in respect of their State/ UT at the earliest and inform this Ministry there about.

   The receipt of this may kindly be acknowledged at the earliest.

(A. R. HAREA)

UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

To

The Secretary,

All Ministries/Deptts.

Copy forwarded for necessary action to :

1. The Principal Secretaries/Secretary, (Education) All States /U.T.
2. Ministry of Home Affairs, New Delhi with reference to this correspondence resting with U.O. No. 1149/ 67-Estt. (D), Dated the 24th February, 1967.
3. The Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi with reference to this letter No. F. 1/7/66 RR, Dated the 24th January, 1967.
4. The Secretary, Staff Selection Commission, C.G.O. Complex, Lodi Road, New Delhi.
5. The Secretary, Kendriya Hindi Shikshan Mandal, Gandhi Nagar, Agra.
6. All attached and subordinate Office and Sections of the Ministry.
7. All Autonomous Organisations under Ministry of Human Resource Development.

(A. R. HAREA)

UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

पाठ्यक्रम विवरण

1. **हिंदी शिक्षण निष्णात**

   यह पाठ्यक्रम एम. एड. स्तर का है। पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष है। यह पाठ्यक्रम मुख्यालय–आगरा में ही चलाया जाता है।

प्रवेश योग्यताएँ

प्रवेश की न्यूनतम एवं अनिवार्य योग्यताएँ निम्नलिखित हैं–

विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा में हिंदी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्णता और हिंदी प्रविधि के साथ बी०एड०, एल० टी० अथवा हिंदी शिक्षण पारंगत में उत्तीर्णता।

2. **हिंदी शिक्षण पारंगत**

यह पाठ्यक्रम बी० एड० स्तर का है। पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष है। यह पाठ्यक्रम वर्तमान में मुख्यालय आगरा में ही संचालित किया जाता है। संस्थान से संबद्ध निम्नलिखित महाविद्यालयों में भी यह पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है–

1. राजकीय हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (उत्तर गुवाहाटी)
2. मिजोरम हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (आइजोल)
3. राजकीय हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (मैसूर)

प्रवेश योग्यताएँ

प्रवेश की न्यूनतम एवं अनिवार्य योग्यताएँ निम्नलिखित हैं–

बी०ए० (हिंदी मुख्य विषय के साथ)।

अथवा

किसी भी बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट में हिंदी विषय के साथ उत्तीर्णता सहित विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बी०ए० के समकक्ष हिंदी की उपाधि (विद्वान, रत्न आदि)।

3. **हिंदी शिक्षण प्रवीण**

यह पाठ्यक्रम बी०टी०सी० स्तर का है। पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष है। यह पाठ्यक्रम मुख्यालय–आगरा और दीमापुर केंद्र पर संचालित किया जाता है।

प्रवेश योग्यताएँ

हिंदी सहित इंटरमीडिएट (हायरसेकेंड्री, प्री–यूनिवर्सिटी)

अथवा

हिंदी विषय के साथ हाईस्कूल की उत्तीर्णता और किसी भी शाखा से इंटरमीडिएट की उपाधि के साथ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट स्तर की हिंदी के समकक्ष प्रमाण पत्र (कोविद, भूषण आदि)।

4. **त्रिवर्षीय हिंदी शिक्षक डिप्लोमा**

यह पाठ्यक्रम खासतौर से नागालैंड के लिए संचालित किया जाता है। यह पाठ्यक्रम प्रारंभ के दो वर्ष राजकीय हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, दीमापुर (नागालैंड) में संचालित होता है तथा अंतिम वर्ष का प्रशिक्षण केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा में दिया जाता है। प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु हिंदी सहित हाईस्कूल परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य है।

5. **विशेष गहन (डिप्लोमा स्तरीय)**

यह पाठ्यक्रम पूर्वोत्तर प्रांतों के उन शिक्षकों के लिए है जो हिंदी अध्यापक के रूप में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हैं। किंतु

जिनके पास हिंदी की कोई औपचारिक उपाधि नहीं है।

इस पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष है। यह पाठ्यक्रम केंद्रीय हिंदी संस्थान के दीमापुर केंद्र पर संचालित किया जाता है। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अध्यापकों का राज्य सरकार से प्रतिनियुक्त होकर आना अनिवार्य है।

प्रवेश योग्यताएँ

हिंदी विषय सहित हाईस्कूल बोर्ड की परीक्षा की उत्तीर्णता अथवा किसी भी विषय से हाईस्कूल की परीक्षा की उत्तीर्णता के साथ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हाईस्कूल/ इंटर के समकक्ष हिंदी डिप्लोमा की उत्तीर्णता।

3– पाठ्यक्रमों की रूपरेखा

1. हिंदी शिक्षण निष्णात

(क) अनिवार्य प्रश्न–पत्र

1.	शिक्षा के दार्शनिक, समाजशास्त्रीय एवं भाषावैज्ञानिक आधार	80+10+10=100
2.	शिक्षा मनोविज्ञान एवं मनोभाषिकी	80+10+10=100
3.	शैक्षिक तकनीकी तथा अन्यभाषा शिक्षण	80+10+10=100
4.	भाषाविज्ञान एवं भारतीय भाषा चिंतन की परंपरा	80+10+10=100
5.	हिंदी भाषा की संरचना	80+10+10=100
6.	अनुसंधान प्रविधि एवं भाषापरक अनुसंधान के आयाम	80+10+10=100
7.	लघु शोध प्रबंध एवं मौखिकी	75+25=100

(ख) वैकल्पिक प्रश्न–पत्र

निम्नलिखित में से कोई एक प्रश्न–पत्र चुनना आवश्यक है–

1.	भाषा परीक्षण और मूल्यांकन	50+30+10+10=100
2.	व्यतिरेकी एवं त्रुटि विश्लेषण	50+30+10+10=100
3.	साहित्य विश्लेषण एवं साहित्य शिक्षण	50+30+10+10=100
4.	कंप्यूटर साधित हिंदी भाषा संसाधन	50+30+10+10=100
5.	हिंदी शिक्षण सामग्री निर्माण	50+30+10+10=100
6.	प्रयोजनमूलक हिंदी	50+30+10+10=100

2. हिंदी शिक्षण पारंगत

हिंदी शिक्षण पारंगत पाठ्यक्रम की सैद्धांतिक परीक्षा 700/800 अंकों की और प्रायोगिक परीक्षा 300 अंकों की संपन्न होती है। द्वितीय प्रविधि के रूप में किसी अतिरिक्त विषय को लेने वाले छात्रों की सैद्धांतिक परीक्षा 800 अंकों और प्रायोगिक परीक्षा 150 अंकों की होगी जिसमें 75 अंक आंतरिक होंगे तथा 75 अंक बाह्य। ऐसे छात्रों की हिंदी शिक्षण प्रविधि प्रायोगिक परीक्षा केवल आंतरिक एवं बाह्य 75+75=150 अंकों की ही होगी।

(क) सैद्धांतिक खंड

अनिवार्य : प्रश्न–पत्र

1.	शिक्षा सिद्धांत, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन	80+10+10=100
2.	शिक्षा मनोविज्ञान और भारतीय शिक्षाः इतिहास एवं समस्याएँ	80+10+10=100
3.	भाषा शिक्षण की विधियाँ	80+10+10=100
4.	भाषा विज्ञान	80+10+10=100
5.	हिंदी संरचना और भाषा तुलना प्रविधि	80+10+10=100
6.	भाषा परिमार्जन	50+30+10+10=100
7.	हिंदी साहित्य	80+10+10=100

नोट : प्रश्न–पत्र 1 से 5 तथा 7 में 80 अंक वार्षिक परीक्षा के लिए हैं और 10+10 अंक दो आंतरिक परीक्षाओं के लिए हैं। प्रश्न–पत्र 6 में 40 अंक वार्षिक लिखित परीक्षा, 40 अंक वार्षिक मौखिक परीक्षा एवं 10–10 अंक प्रथम एवं द्वितीय आंतरिक परीक्षा के लिए हैं।

अतिरिक्त : एक प्रश्न–पत्र

8. प्रांतीय आवश्यकता के अनुसार द्वितीय शिक्षण प्रविधि (केवल भाषाएँ) 80+10+10=100

(ख) प्रायोगिक खंड : शिक्षण कार्य एवं अन्य गतिविधियाँ **300 अंक**

(अ) बाह्य परीक्षा (कौशल + साहित्य) 75+75=150

(ब) आंतरिक परीक्षा (कौशल + साहित्य) 75+75=150

(अ) केवल हिंदी प्रविधि लेने वाले — अंक वितरण

	बाह्य	आंतरिक
कौशल पाठ–20	75	75
साहित्य पाठ–20	75	75

(आ) हिंदी प्रविधि के साथ–साथ एक और भाषा की प्रविधि लेने वाले (द्वितीय प्रविधि के रूप में केवल कन्नड़ एवं उड़िया ही लागू हैं।)

	हिंदी में	द्वितीय प्रविधि
कौशल पाठ–20	75	75

साहित्य पाठ–20	75	75

3. **हिंदी शिक्षण प्रवीण**

(क) सैद्धांतिक खंड	**700 अंक**
1. शिक्षा सिद्धांत, शैक्षिक प्रशासन एवं विद्यालय संगठन	80+10+10=100
2. शिक्षा मनोविज्ञान एवं भारतीय शिक्षा	80+10+10=100
3. भाषा शिक्षण	80+10+10=100
4. हिंदी भाषा की संरचना	80+10+10=100
5. भाषा परिमार्जन	60+20+10+10=100
6. हिंदी साहित्य	80+10+10=100
(ख) प्रायोगिक खंड : शिक्षण कार्य एवं अन्य गतिविधियाँ	**300 अंक**
(अ) बाह्य परीक्षा	150 अंक
(ब) आंतरिक परीक्षा	150 अंक

4– प्रवेश नियम

1. विभिन्न पाठ्यक्रमों के आगामी सत्र के लिए संलग्न आवेदन–पत्र एवं प्रवेश पत्र 31 मार्च तक **कुलसचिव, केंद्रीय हिंदी संस्थान, हिंदी संस्थान मार्ग, आगरा–282005** के कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए। इसके बाद प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. आवेदन–पत्र के साथ उत्तीर्ण परीक्षाओं के प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ भेजना आवश्यक है।
3. राज्य सरकारों एवं सरकारी विद्यालयों द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए सेवारत हिंदी अध्यापकों को उनकी अर्हता, योग्यता के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश दिया जाएगा।
4. हिंदी शिक्षण निष्णात, हिंदी शिक्षण पारंगत एवं हिंदी शिक्षण प्रवीण पाठ्यक्रमों में सेवापेक्षी (प्री–सर्विस) छात्रों का प्रवेश लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। प्रवेश परीक्षा की तिथि जून के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में रहेगी एवं स्थान की सूचना पत्र व्यवहार के पते पर बाद में दी जाएगी। प्रवेश–परीक्षा का प्रश्न–पत्र निम्नवत् होगा–

खंड (क) सामान्य ज्ञान	25 अंक
खंड (ख) शिक्षक अभिरुचि परीक्षण	25 अंक
खंड (ग) हिंदी भाषा एवं साहित्य	25 अंक
खंड (घ) हिंदी भाषा दक्षता परीक्षण	25 अंक

प्रवेश परीक्षा के मॉडल पेपर के नमूने पृष्ठ 19 पर दिए गए हैं।

प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का कोई मार्ग व्यय एवं भत्ता देय नहीं होगा।

5. प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ही विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा जो राज्यवार निर्धारित सीटों के अनुसार होगा।

6. प्रवेश में भारत सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति एवं विकलांग अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जाएगा।

7. प्रवेश परीक्षा के बाद चुने गए सभी आवेदकों को प्रवेश के समय निम्नलिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

   (क) शैक्षिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण–पत्र

   (ख) जन्म–तिथि संबंधी प्रमाण–पत्र

   (ग) यदि सेवारत है तो वर्तमान सेवा–संस्था से प्राप्त निवृत्ति–पत्र

   (घ) स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण–पत्र (गर्भवती महिलाओं को पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाता)

   (ङ) दो प्रतिष्ठित सज्जनों से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र

8. प्रवेश के समय प्रवेशार्थी को पुस्तकालय परिभाव्य धन (कॉशन मनी) रु० 500.00 एवं छात्रावास परिभाव्य धन (कॉशन मनी) रु० 2000.00 जमा करना होगा। यह धन सत्रांत के पश्चात् एक महीने के अंदर प्रार्थना–पत्र मिलने पर लौटाया जाएगा।

9. प्रवेश की सूचना प्राप्त किए बिना यदि कोई आवेदक यहाँ आ जाता है तो यह उसकी निजी जिम्मेदारी होगी। ऐसे आवेदकों को छात्रावास में ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10. प्रशिक्षणार्थियों को सत्र की अवधि में किसी दूसरी परीक्षा की तैयारी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि सत्र की अवधि में कोई छात्र अन्य परीक्षा की तैयारी करता पाया जाएगा तो उसे संस्थान से निष्कासित कर दिया जाएगा और उसे दी गई छात्रवृत्ति की सारी धनराशि भी वसूल की जाएगी।

11. प्रशिक्षणार्थियों द्वारा आवेदन–पत्र में दी गई सूचनाओं तथा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों की जाँच कराई जा सकती है। किसी भी प्रकार की सूचना के गलत तथा प्रमाण–पत्र के अवैध पाए जाने पर उनका प्रवेश तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रशिक्षणार्थी की समस्त धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

12. गर्भवती महिलाओं को इन पूर्णसत्रीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

13. छात्रों की सामान्य चिकित्सा के लिए संस्थान में समुचित व्यवस्था है। विशेष चिकित्सा हेतु अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में छात्रों को स्वयं खर्च वहन करना होगा। संस्थान किसी भी प्रकार के बाहरी बिल का भुगतान नहीं करेगा। संस्थान विशेष बीमारी, दुर्घटना आदि व्ययभार भी नहीं उठाएगा।

14. ऐसी बीमारी जो संस्थान में प्रवेश लेने के पूर्व आवेदक के शरीर में पनपनी शुरू हो गई होगी, उस बीमारी से गंभीर स्थिति उत्पन्न होने पर आपात स्थिति में मदद लेकर आगे की चिकित्सा का खर्च विद्यार्थी को स्वयं वहन करना होगा। बीमारी की पहचान चिकित्सीय प्रमाण/रिपोर्ट के आधार पर मान्य होगी।

15. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी उत्तरी भारत की जलवायु के अनुकूल बिस्तर, मसहरी और पहनने तथा ओढ़ने के गरम कपड़े अवश्य ले आए।

16. प्रवेश नियमावली एवं आवेदन–पत्र संस्थान मुख्यालय से मंगाए जा सकते हैं। ये संस्थान के सभी केंद्रों पर भी सुलभ होंगे।

छात्रवृत्ति संबंधी नियम :

1. संस्थान के मुख्यालय एवं केंद्रों पर प्रवेश प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में रु० 2000/– प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा संचालित संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की कोई व्यवस्था नहीं है।
2. कार्य दिवसों में अनुपस्थित रहने वाले छात्र की छात्रवृत्ति काट ली जाएगी।
3. जो छात्र एक अंतर में अनुपस्थित पाए जाएँगे, उनकी छात्रवृत्ति से 20 रुपए और जो छात्र दो अंतरों में अनुपस्थित पाए जाएँगे उनकी छात्रवृत्ति से 50 रुपए की कटौती कर ली जाएगी।

आकस्मिक अवकाश संबंधी नियम:

1. सत्रावधि में अति महत्वपूर्ण कारणों के आधार पर छात्रों को आठ दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जो अधिकार न होकर परिस्थितिजन्य माना जाएगा और इसके लिए छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।

मध्यावकाश संबंधी नियम :

1. संपूर्ण सत्रावधि में केवल दो सप्ताह का मध्यावकाश दिया जाएगा। अवकाश की वास्तविक तिथियों की घोषणा प्रत्येक वर्ष के कैलेण्डर के आधार पर सत्र के प्रारंभ में की जाएगी।
2. जो छात्र मध्यावकाश के पूर्व या बाद में कक्षा में लगातार पाँच दिन अनुपस्थित रहेंगे, उन्हें संबद्ध महीने की छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। लगातार 10 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले छात्रों का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और उन्हें पाठ्यक्रम से मुक्त कर दिया जाएगा।

सामान्य सूचनाएँ

1. संस्थान की उपाधियों का जितना महत्व है, उतना ही महत्व संस्थान द्वारा जारी किए जाने वाले अन्य प्रमाण–पत्रों का भी है। संस्थान में औपचारिक शिक्षण के अतिरिक्त अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत साहित्य–सभा, प्रसार व्याख्यान, विशेष व्याख्यान, संगोष्ठी, सांस्कृतिक समारोह, क्रीड़ा प्रतियोगिताएँ, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रतियोगिताएँ, स्काउट एवं गाइड शैक्षणिक पर्यटन आदि भी आयोजित होते हैं। इन सह–पाठ्यक्रमीय क्रिया–कलापों में प्रत्येक छात्र/छात्रा की उपस्थिति अनिवार्य है। जो छात्र/छात्रा इन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, उन्हें योग्यता, दक्षता, सहभागिता के अनुरूप प्रमाण पत्र दिए जाते हैं।
2. संस्थान के अध्यापक शिक्षा विभाग के प्रशिक्षणार्थियों की छात्र–पत्रिका ‘समन्वय’ हर वर्ष प्रकाशित होती है, जिसमें उनके रचनात्मक लेख, कविता, कहानी इत्यादि प्रकाशित किए जाते हैं।

5– परीक्षा नियम

1. संस्थान की परीक्षाएँ प्रतिवर्ष निर्धारित तिथियों पर आगरा में तथा आवश्यकतानुसार मंडल द्वारा निर्धारित अन्य केंद्रों पर होंगी।
2. सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक परीक्षा के लिए पारंगत और प्रवीण, त्रिवर्षीय हिंदी शिक्षक डिप्लोमा में पृथक–पृथक श्रेणियाँ प्रदान की जाती हैं। उत्तीर्णता के लिए छात्रों को कुल योग का 40 प्रतिशत लाना अनिवार्य है। प्रश्न–पत्र विशेष में उत्तीर्णता के लिए न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।
3. वर्ष 2008–09 से पुनरीक्षण (Review) की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। परीक्षा परिणाम की घोषणा होने की तिथि से एक माह के अंदर किसी भी एक प्रश्न–पत्र का पुनरीक्षण कराया जा सकता है। इसके लिए रु० 200/– शुल्क के रूप में जमा करवाने होंगे।
4. वार्षिक परीक्षा में किन्हीं दो विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की पूरक परीक्षा मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि के बाद तीन माह के अंदर करवाई जाएगी। इस पूरक परीक्षा के लिए शुल्क के रूप में कुल रु० 550/– मूल परीक्षा परिणाम निकलने की तिथि से दो महीने के भीतर जमा करवाने होंगे। पूरक परीक्षा में बैठने के लिए केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा।
5. परीक्षा परिणाम सुधार के लिए कोई भी छात्र अधिकतम दो प्रश्न–पत्रों में पुनर्परीक्षा दे सकता है, जो अगले वर्ष की मुख्य परीक्षा के साथ दिए जा सकेंगे। इसके लिए उसे रु० 300/– प्रति प्रश्न–पत्र की दर से शुल्क देना होगा।
6. सभी परीक्षाओं में उत्तीर्णता की निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगी–

   प्रथम श्रेणी–60 प्रतिशत और अधिक

   द्वितीय श्रेणी–48 प्रतिशत और अधिक

   तृतीय श्रेणी–40 प्रतिशत और अधिक

   यदि कोई प्रशिक्षणार्थी पूर्ण योग में 75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करेगा तो उसके प्रमाण–पत्र में ''प्रथम श्रेणी विशेष योग्यता सहित'' का उल्लेख किया जाएगा।
7. प्रशिक्षणार्थियों को वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा आवेदन–पत्र भरकर 30 नवंबर तक परीक्षा विभाग में जमा कराना होगा। परीक्षा आवेदन–पत्र के साथ 650 रु० का बैंक ड्राफ्ट, ''सचिव, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा'' के नाम से बनवा कर जमा करें अथवा लेखा विभाग में नकद जमा करके रसीद प्राप्त करें और परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
8. 30 नवंबर तक परीक्षा आवेदन–पत्र जमा न कर पाने वाले छात्र विलंब शुल्क रु० 50/– सहित 15 दिसंबर तक अपना परीक्षा आवेदन–पत्र जमा कर सकते हैं। 15 दिसंबर के बाद परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएँगे।
9. परीक्षा आवेदन–पत्र खोने/खराब होने की स्थिति में दूसरा आवेदन–पत्र रु० 50/– जमा करने के पश्चात ही मिल सकेगा।
10. पूरक परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों को परीक्षा नियंत्रक, केंद्रीय हिंदी संस्थान (शैक्षिक एवं परीक्षा विभाग), आगरा से परीक्षा आवेदन–पत्र मँगाना होगा। परीक्षा आवेदन–पत्र मँगाने और निर्धारित तिथि तक भरकर भेजने की जिम्मेदारी छात्र की होगी। आवेदन–पत्र मँगाने के लिए भेजे जाने वाले प्रार्थना–पत्र के साथ अपना नाम, पता लिखा 23 × 15 से. मी. का लिफाफा (जिस पर रु० 50/– का डाक टिकट लगा हो) भेजना होगा।
11. वार्षिक परीक्षा संबंधी अभिलेख (रिकार्ड) तीन वर्ष तक ही सुरक्षित रखे जाते हैं, तदनंतर उन्हें नष्ट कर दिया जाता है।

12. वार्षिक परीक्षा का आयोजन परीक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा, आतंरिक परीक्षाएँ विभागीय स्तर पर आयोजित की जाएँगी।

13. वार्षिक परीक्षा परिणाम संबंधी त्रुटियों का निराकरण परिणाम घोषित होने के तीन माह के अंदर किया जाएगा।

14. यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन–पत्र भरने के बाद चिकित्सकीय कारणों से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता और तत्काल इसकी सूचना संस्थान को देता है तो उसे अगली परीक्षा के लिए नए सिरे से आवेदन–पत्र भरने की अनुमति दी जाएगी। यह अनुमति बाद के वर्षों के लिए लागू नहीं होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि चिकित्सकीय आधार पर केवल एक ही अवसर दिया जाएगा।

15. यदि कोई छात्र परीक्षा में नकल करता पकड़ा/ पाया जाता है तो उसकी पूरी परीक्षा निदेशक द्वारा गठित अनुशासन समिति द्वारा निरस्त की जा सकती है।

6– संस्थान नियम

1. चूँकि सारे पाठ्यक्रम आवासीय व्यवस्था के अंतर्गत चलते हैं, अतः छात्रों की शत–प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. परीक्षा में वे ही छात्र शामिल हो पाएँगे जिनकी कुल उपस्थिति 90 प्रतिशत होगी।
3. कोई प्रशिक्षणार्थी निदेशक की अनुमति प्राप्त किए बिना नगर के बाहर नहीं जा सकेगा।
4. संस्थान में होने वाले सह–पाठ्यक्रमीय कार्यक्रमों, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक आयोजनों, गोष्ठियों और समारोहों आदि में सभी प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अनुपस्थित प्रशिक्षणार्थी अर्थदंड के भागी होंगे।
5. सत्र की अवधि में दो बार आंतरिक परीक्षा ली जाएगी जो अक्टूबर के उत्तरार्ध में एवं मार्च के पूर्वार्ध में संपन्न होंगी। इन परीक्षाओं में प्रत्येक छात्र का सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।
6. जो प्रशिक्षणार्थी आंतरिक परीक्षा तथा सत्र की प्रगति के समानांतर संतोषजनक प्रगति नहीं दिखाएँगे और संस्थान के नियमों के विरुद्ध आचरण करते पाए जाएँगे, उन्हें पाठ्यक्रम से किसी भी समय निकाला जा सकता है।
7. प्रवेश के समय कुल रु० 1500/– एक मुश्त छात्रावास सुविधा शुल्क के रूप में जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त कुल रु० 1000/– कॉशन मनी के रूप में जमा करने होंगे।
8. वार्षिक परीक्षा के पूर्व अधिकतम 10 दिन तक तैयारी के लिए अवकाश दिया जाएगा। उस अवकाश काल में कोई छात्र नगर से बाहर नहीं जा सकेगा।
9. अनुशासन भंग करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को अर्थदंड देने के अतिरिक्त संस्थान से निष्कासित भी किया जा सकता है और उस दशा में दी गई छात्रवृत्ति वापस करनी होगी।
10. **प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रतिदिन अपनी कक्षा में, संस्थान के समारोहों एवं शिक्षणाभ्यास कार्यों में अध्यापक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पोशाक धारण करनी होगी। निर्धारित पोशाक न होने पर कक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और छात्र को अनुपस्थित माना जाएगा।** निर्धारित पोशाक इस प्रकार हैं :

    (क) महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए–नीले रंग (नेवी ब्लू) की 04 इंच बॉर्डर वाली सफेद साड़ी, नीला (नेवी ब्लू) ब्लाउज अथवा सफेद सलवार, नीले रंग (नेवी ब्लू) का कुर्ता और सफेद चुन्नी एवं नीला (नेवी ब्लू) स्वेटर तथा काले रंग की जूती/चप्पल/सैंडिल।

    (ख) पुरुष प्रशिक्षणार्थियों के लिए–ग्रे पैंट, सफेद शर्ट एवं नीला (नेवी ब्लू) स्वेटर या कोट तथा काले रंग के जूते व सफेद मोजे।

11. कक्षाओं का समय (सोमवार से शुक्रवार तक) निम्नलिखित होगा–
(क) कक्षाओं में आगमन एवं स्थान ग्रहण प्रातः 9–45 से 9–50 तक
(ख) सरस्वती वंदना/संस्थान गीत एवं राष्ट्र गान प्रातः 9–50 से 10.00 तक
(ग) कक्षाएँ प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे तक
(घ) मध्यावकाश 01.00 बजे से 2.00 बजे तक रहेगा।

12. स्काउट एवं गाइड का प्रशिक्षण प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए अनिवार्य है। इसका आयोजन मुख्यालय के छात्रों के लिए अध्यापक शिक्षा विभाग और केंद्रों के छात्रों के लिए केंद्र द्वारा किया जाता है।

13. शैक्षिक पर्यटन में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी की सहभागिता अनिवार्य है, क्योंकि यह पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग है। यह पर्यटन शैक्षिक एवं साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक महत्व के स्थानों के लिए अध्यापक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। संस्थान शैक्षिक पर्यटन के व्यय भार के रूप में पर्यटन पर जाने वाले प्रति सदस्य के लिए रु० 500/– का योगदान देगा। शेष सभी व्यय प्रशिक्षणार्थियों द्वारा वहन किया जाएगा। स्थानीय शैक्षिक भ्रमण निःशुल्क होगा।

7– छात्रावास नियम

1. संस्थान में प्रवेश पानेवाले प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए छात्रावास की व्यवस्था है। पूरे सत्र के लिए एक मुश्त रु० 1500/– (रुपए एक हजार पाँच सौ) छात्रावास सुविधा शुल्क छात्रावास में जमा करने होंगे। सभी प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास में अनिवार्यतः रहना होगा। यदि किन्हीं कारणों से कोई प्रशिक्षणार्थी छात्रावास से बाहर रहना चाहता/चाहती है, तो उसे निदेशक से अनुमति प्राप्त करनी होगी। बाहर रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान के छात्रावास से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तथा ऐसी स्थिति में प्रशिक्षणार्थी को कोई हानि या असुविधा होती है तो उसके लिए संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

2. संस्थान के छात्रावासों में किसी एक प्रशिक्षणार्थी को पूरा कमरा नहीं दिया जाएगा। छात्रों को अन्य प्रशिक्षणार्थियों के साथ कमरे में रहना होगा। एक कमरे में रहने वाले छात्र–छात्राएँ एक भाषा–भाषी न होकर भिन्न भाषा–भाषी होंगे।

3. (क) प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रवेश के समय छात्रावास तथा भोजनालय के लिए रु० 1000/– (एक हजार मात्र) कॉशन मनी छात्रावास कार्यालय में जमा करनी होगी। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यह राशि संस्थान छोड़ने पर छात्रावास के नुकसान की भरपाई करने के बाद वापस कर दी जाएगी। **संस्थान छोड़ने से पूर्व संस्थान द्वारा प्रदत्त सभी देय सामग्री वापस करनी होगी।**

3. (ख) छात्रावास के भोजनालयों में शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की जाती है, जो खुद विद्यार्थी प्रतिनिधियों द्वारा ही संचालित होगी। मैस के प्रबंधन में छात्रावासों के वार्डन छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे। भोजनालयों का हिसाब वार्डनों के निर्देशानुसार छात्रावास सहायक की देखरेख में छात्र प्रतिनिधि रखेंगे, जिसका निरीक्षण वार्डन किसी भी समय कर सकते हैं। प्रत्येक माह के अंत में छात्र प्रतिनिधि हिसाब की कॉपी वार्डन कार्यालय में जमा करेंगे। भोजनालयों के प्रबंध के लिए वार्डन की अध्यक्षता में प्रत्येक महीने के तृतीय सप्ताह में आयोजित एक बैठक में समिति का चयन किया जाएगा। सत्र के आरंभ में भोजनालय संबंधी नियम वार्डन घोषित करेंगे। भोजन व्यय की राशि का भुगतान समय पर नहीं करने पर उसकी कटौती छात्रवृत्ति से की जाएगी।

3. (ग) भोजन भोजनालय कक्ष में ही करना होगा। भोजन कमरे में ले जाने पर पूर्णतः निषेध है और कोई भी प्रशिक्षणार्थी कमरे में भोजन चाय, आदि नहीं बनाएगा। भोजनालय के समय के अनुसार ही भोजन करना अनिवार्य है। भोजनालय कक्ष का कोई भी सामान छात्र/छात्रा बाहर नहीं ले जाएँगे। इसकी अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

3. (घ) यदि कोई विद्यार्थी आगरा शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाए तो भोजनालय प्रतिनिधि एवं वार्डन को लिखित रूप से सूचित करे। ऐसे में तीन दिन से कम अनुपस्थिति पर किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी, तीन दिन से अधिक दिनों के लिए बाहर रहने पर भोजन व्यय में छूट दी जाएगी।

3. (ङ) रसोई में कार्य करने वाले पूर्ण रूप से भोजनालय में ही भोजन करेंगे। इनसे भोजन खर्च वसूल नहीं किया जाएगा।

4. सामान्यतः संक्रामक रोगग्रस्त प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्रवेश के पश्चात् यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को संक्रामक रोग होगा तो उसे संस्थान के छात्रावास से अलग रहना होगा।

5. सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक छात्रावास से बाहर जाना पूर्णतः निषिद्ध है। अध्ययन के अतिरिक्त छात्रावास से बाहर जाते समय और आते समय प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास गेट पर रखे रजिस्टर में सूचना दर्ज करनी होगी और हस्ताक्षर करने होंगे। विशेष परिस्थिति में सायं 7.00 से प्रातः 6.00 बजे तक प्रशिक्षणार्थी वार्डन की पूर्व अनुमति लेकर ही छात्रावास से बाहर जा सकते हैं।

6. छात्रावास या संस्थान के परिसरों में मादक वस्तुओं का उपयोग निषिद्ध है। यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को मादक पदार्थ रखते या सेवन करते पाया जाएगा तो उसे तत्काल संस्थान से निष्कासित कर दिया जाएगा।

7. किसी प्रशिक्षणार्थी का चरित्र तथा व्यवहार असंतोषजनक पाए जाने पर उसे छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।

8. बाहर का कोई भी व्यक्ति छात्रावास में अतिथि के रूप में नहीं रह सकता।

9. वार्डन की पूर्व अनुमति के बिना कोई प्रशिक्षणार्थी कमरा और प्रदत्त सामग्री एक दूसरे से नहीं बदल सकता।

10. यदि कोई प्रशिक्षार्थी संस्थान एवं छात्रावास की सामग्री को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाएगा, तो उसे उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी।

11. बिजली के बल्ब सत्र के आरंभ में एक बार दिए जाएँगे। यदि बल्ब फ्यूज होता है तो प्रशिक्षणार्थी को उसकी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। पुनः लगाए गए बल्बों का वाटेज पूर्व प्रदत्त बल्बों के वाटेज के समान ही होना चाहिए।

12. कमरों में लगे विद्युत उपकरणों के अलावा अन्य किसी विद्युत उपकरण (तापक/ हीटर आदि) का प्रयोग दंडनीय अपराध समझा जाएगा। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त विद्युत शुल्क जमा कर वार्डन/ कुलसचिव से अनुमति माँगी जा सकती है।

13. छात्रावास में किसी प्रकार के स्टोव का प्रयोग करना निषिद्ध है। यदि किसी कमरे में स्टोव/हीटर पाया गया तो प्रशिक्षणार्थी को दंडित किया जाएगा और उसका स्टोव/हीटर भी जब्त कर लिया जाएगा।

14. छात्रावासों में वार्डन प्रत्येक तल के नायकों की नियुक्ति करेंगे। नायक अन्य प्रशिक्षणार्थियों की सहायता से छात्रावासों की देखभाल वार्डन के निर्देशानुसार करेंगे।

15. छात्रावास के कार्य के लिए छात्रावास सहायक और छात्र परिचारकों की व्यवस्था है, जिनके कर्तव्य वार्डन के द्वारा निश्चित किए गए हैं।

16. छात्रावास में प्रतिदिन रात्रि को निर्धारित समय (6.00 से 6.30 तक) पर वार्डन द्वारा उपस्थिति ली जाएगी। इसी समय प्रशिक्षणार्थी अपनी कठिनाइयाँ लिखित रूप में वार्डन को दे सकते हैं।

17. सभी छात्र अपने साथ बिस्तर एवं आवश्यक कपड़े (गर्म एवं सामान्य) तथा कंबल आदि लेकर आएँ। दिसंबर से जनवरी तक आगरा में काफी सर्दी होती है। घर जाकर सामान लाने के लिए अवकाश नहीं दिया जाएगा। छात्रावास से केवल पलंग, गद्दा, तकिया और सर्दी के मौसम में रजाई दी जाएगी। उपर्युक्त वस्तुओं को कमरे से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। विद्यार्थी सभी सामग्रियों को सही तरह से प्रयोग करें तथा मौसम के अनुसार छात्रावास सहायक के पास दिए गए समय में वापस जमा कर दें। सामग्री के गायब या खराब होने पर सत्र के अंत में संबंधित छात्र/छात्रा को उसकी भरपाई करनी होगी।

18. छात्रों को छात्रावास के संबंध में अथवा सेवारत कर्मचारियों के संबंध में कोई शिकायत हो तो लिखित रूप में वार्डन को दें। लिखित शिकायत पर ही कार्रवाई की जा सकेगी।

19. कोई भी छात्र/छात्रा अपने साथ किसी बाहरी व्यक्ति/अतिथि को चाहे वह संस्थान से संबंधित ही क्यों न हो, अपने कमरे में नहीं ले जाएगा। उनसे मुलाकात निश्चित अतिथि कक्ष में ही करेगा। यदि किसी विद्यार्थी के अतिथि/बंधु/सहेली/दोस्त आते हैं तो पहले उसकी लिखित सूचना वार्डन या छात्रावास सहायक को देनी होगी। अनुमति प्राप्त होने पर ही वह कमरे में प्रवेश कर पाएँगे। बाहरी व्यक्तियों/अतिथियों से मिलने का समय सायं 5.30 बजे से सायं 6.30 बजे के बीच होगा। मिलने वाले व्यक्तियों को विजिटर रजिस्टर (आगंतुक पंजिका) में नाम, पता, समय लिखकर हस्ताक्षर करने होंगे तथा जिनसे मिलना है उनका नाम भी लिखना होगा और उन्हें भी हस्ताक्षर करने होंगे।

20. कोई भी छात्र अतिथि अथवा परिवार के अन्य सदस्यों को छात्रावास में अपने साथ नहीं रख सकता। अनुरोध पत्र देने पर उपलब्धता के आधार पर वार्डन उनके रहने एवं खाने की अलग से व्यवस्था करेंगे, जिसके लिए निर्धारित शुल्क देना होगा। प्रशिक्षणार्थियों के अभिभावक अधिकतम तीन दिनों तक ही छात्रावास में ठहराए जा सकेंगे।

21. कोई भी प्रशिक्षणार्थी अपने साथ कीमती वस्तु/ आभूषण इत्यादि लेकर न आए।

22. प्रत्येक रविवार को तथा राजपत्रित अवकाश के दिन प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक छात्र वार्डन को पूरी सूचना देकर छात्रावास से बाहर जा सकते हैं।

23. गीजर को व्यवहार करने के बाद, स्नानागार एवं शौचालयों के नलों को बंद करना होगा।

24. छात्रों को पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद अधिक से अधिक तीन दिनों तक छात्रावास में रहने की अनुमति दी जाएगी। अति आवश्यक होने पर अधिक दिनों के लिए निदेशक/ कुलसचिव से अनुमति प्राप्त करनी होगी जिसके लिए अतिरिक्त भुगतान भी करना होगा। यह सुविधा भी दो अतिरिक्त दिनों से अधिक नहीं मिल पाएगी। सत्रांत के बाद भोजनालय में भोजन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

25. आवश्यकतानुसार छात्रावास में निदेशक, मुख्य वार्डन, कुलसचिव, वार्डन किसी भी छात्र/छात्रा के कमरे का निरीक्षण किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं।

छात्रावास में रहने वाले सभी छात्र–छात्राओं को उपर्युक्त सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जो विद्यार्थी उपर्युक्त नियमों का पालन नहीं करेगा, उसको संस्थान और छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।

घोषणा पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी...पुत्र/पुत्री..
......................................घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने संस्थान की नियमावली के छात्रावास नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है और मैं पूर्ण रूप से आश्वासन देता/ देती हूँ कि छात्रावास नियमों का पूर्णतया पालन करूँगा/करूँगी।

दिनांक : .... **आवेदक के हस्ताक्षर**

आवेदक का नाम

आवेदक की कक्षा

विशेष : संस्थान में प्रवेश पाने वाले सभी छात्र–छात्राओं को यह घोषणा पत्र प्रवेश के समय अनिवार्य रूप से भरना होगा।

8– चिकित्सा नियम

1. छात्रावास में रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों की अस्वस्थता के दिनों में संस्थान की ओर से चिकित्सा की व्यवस्था है। संस्थान द्वारा नियुक्त डॉक्टर संस्थान भवन में आकर उनकी चिकित्सा करते हैं।
2. संस्थान के डॉक्टर द्वारा ही प्रशिक्षणार्थियों को अपनी चिकित्सा करानी होगी। वार्डन से अनुमति लेकर बाहर के डॉक्टर से उसी दशा में चिकित्सा करा सकते हैं जबकि (1) संस्थान के डॉक्टर अवकाश पर हों या (2) ऐसे समय जब उन्हें बुलाना संभव न हो। ऐसी दशा में वार्डन अपने विवेक से बीमार छात्र को सरकारी अस्पताल भेज सकते हैं या संस्थान द्वारा पूर्व–अधिकृत डॉक्टर से चिकित्सा करा सकते हैं। इस प्रकार की चिकित्सा एक या दो दिन के लिए या उस अवधि के लिए होगी जबकि संस्थान के डॉक्टर अवकाश पर होंगे। इस चिकित्सा का व्यय संस्थान अपने नियमों के अनुसार वहन करेगा।
3. यदि कोई छात्र/छात्रा अपनी इच्छा से, वार्डन की अनुमति के बिना छात्र किसी बाहरी डॉक्टर से चिकित्सा कराएँगे तो उसका सारा व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा। संस्थान ऐसी किसी भी चिकित्सा की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।
4. उपर्युक्त नियम (2) तीन मास या अधिक की अवधि के पाठ्यक्रमों पर ही लागू होगा। इससे कम अवधि के पाठ्यक्रम के छात्रों की चिकित्सा संस्थान के डॉक्टर की चिकित्सा तक ही सीमित रहेगी।
5. डॉक्टर की फीस और दवाइयों के दाम के लिए प्रति छात्र से मासिक रु० 50/– चिकित्सा शुल्क लिया जाता है।
6. केवल संस्थान के नियुक्त डॉक्टर के प्रमाण–पत्र के आधार पर ही चिकित्सा–अवकाश स्वीकृत करने पर विचार किया जाएगा।
7. लंबी अवधि की चिकित्सा, शल्य क्रिया, अस्पताल में भर्ती होने के किसी भी व्यय को संस्थान नहीं उठाएगा। यदि कोई भी छात्र इस प्रकार की अस्वस्थता से ग्रस्त होता है तो उसे पाठ्यक्रम से निलंबित कर दिया जाएगा।

9– पुस्तकालय नियम

1. पुस्तकालय सभी दिवसों में कार्यालय के समयानुसार खुलेगा।
2. निष्णात और पारंगत के छात्राध्यापकों को पुस्तकालय का सदस्य बनने के लिए कार्यालय में रु० 500/– (रुपए पाँच सौ मात्र) कॉशन मनी के रूप में जमा करना होगा। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यह राशि छात्र के संस्थान छोड़ने पर वापस की जाएगी। संस्थान के पुस्तकालयाध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि छात्र पर पुस्तकालय का कोई देय होने पर इस राशि में से पुस्तकालय का देय काट लें। शोध छात्रों को रु० 700/– कॉशन मनी जमा करना होगा।
3. पुस्तकालय का सदस्य बनने पर प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित संख्या के अनुसार पुस्तकालय से पुस्तकें ले सकेगाः

(क) निष्णात के प्रशिक्षणार्थी	7 पुस्तकें
(ख) पारंगत के प्रशिक्षणार्थी	6 पुस्तकें
(ग) प्रवीण, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थी	5 पुस्तकें
(घ) शोध छात्र	10 पुस्तकें

4. प्रशिक्षणार्थियों को पुस्तकें 15 दिन की अवधि के लिए, शोध छात्रों एवं शैक्षिक विभाग के सदस्यों को पुस्तकें एक मास की अवधि के लिए दी जाएँगी। उक्त अवधि की समाप्ति पर पुस्तकों को वापस करना होगा। आवश्यकतानुसार सदस्य किसी पुस्तक को एक बार पुनः निर्गमित (रि–इश्यू) करा सकते हैं। किसी भी पुस्तक का पुनः निर्गमन केवल एक बार ही हो सकता है।

5. पुस्तक की माँग को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तक रखने की अवधि को कम कर सकते हैं, अवधि समाप्त होने से पूर्व पुस्तक को मँगा सकते हैं और पुस्तक को पुनः निर्गमित करने से मना कर सकते हैं।

6. कोश, शोध प्रबंध आदि संदर्भ ग्रंथ पुस्तकालय से बाहर पढ़ने के लिए नहीं दिए जाएँगे। कोई ग्रंथ संदर्भ ग्रंथ है या नहीं, इसका निर्णय पुस्तकालयाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा।

7. पुस्तकालय द्वारा किसी पुस्तक की माँग किए जाने पर सदस्य को 24 घंटे के अंदर पुस्तक वापस कर देनी होगी। माँगे जाने पर या नियत अवधि पर पुस्तकें वापस न करने पर सदस्य को पुस्तकालय से पुस्तकें देना बंद किया जा सकता है। पुनः सदस्य बनने के लिए निदेशक की अनुमति आवश्यक होगी। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा नियत अवधि पर पुस्तकें वापस न करने पर एक रुपए प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लिया जाएगा।

8. सामायिक पत्र–पत्रिकाओं और शोध पत्रिकाओं के नवीनतम अंक पुस्तकालय से बाहर पढ़ने के लिए नहीं दिए जाएँगे।

9. पुस्तकालय से पुस्तक/पत्रिका आदि पाठ्य सामग्री लेने के बाद उस सामग्री की सुरक्षा का दायित्व सदस्य का होगा।

10. सदस्य के द्वारा पुस्तक या पत्रिका खो दिए जाने, खराब करने अथवा फाड़ देने पर पुस्तक के अतिरिक्त निम्न आधार पर अधिभार निश्चित किया जाएगा–

    (क) यदि पुस्तक का नवीनतम संस्करण (तीन वर्ष से अधिक पुराना न हो) उपलब्ध है तो उसके मूल्य का दुगुना मूल्य लिया जाएगा।

    (ख) यदि पुस्तक को प्रकाशित हुए 10 वर्ष या उससे कम वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तो पुस्तक के मूल्य का 5 गुना अधिभार लिया जाएगा।

    (ग) यदि पुस्तक के प्रकाशन को दस वर्ष या उससे अधिक समय व्यतीत हो चुका है तो पुस्तक के मूल्य का दस गुना अधिभार लिया जाएगा।

    (घ) विदेशी पुस्तक को खरीदते समय पुस्तक का उस समय विदेशी मुद्रा में जो मूल्य था उसकी वर्तमान विदेशी मुद्रा विनिमय दर से भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करके जो मूल्य बनेगा उस पर उपर्युक्त नियमों के आधार पर अधिभार की गणना की जाएगी।

11. बहुखंडीय ग्रंथों के किसी एक खंड के खो जाने/ विकृत करने की दशा में सदस्य से ग्रंथ के पूरे सैट का अधिभार सहित मूल्य लिया जाएगा। सदस्य संबंधित खंड भी पुस्तकालय को दे सकता है।

12. सदस्य अपना व्यक्तिगत सामान (पुस्तकें, बैग, फाइलें आदि) लेकर पुस्तकालय एवं वाचनालय में प्रवेश नहीं करेंगे।

13. सदस्य को पुस्तकालय द्वारा दिए गए पुस्तकालय कार्ड अहस्तांतरणीय हैं। उनकी सुरक्षा का दायित्व सदस्य का है। कार्ड खो जाने पर उसकी लिखित सूचना तुरंत पुस्तकालयाध्यक्ष को देनी चाहिए।

14. प्रत्येक शैक्षिक सत्र के अंत में सभी सदस्यों को पुस्तकालय की पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्री को भौतिक सत्यापन हेतु वापस करना होगा। वापस करने के पश्चात् आवश्यकतानुसार पुस्तकें पुनः निर्गमित (रि–इश्यू) की जाएँगी।

10– आवेदकों के लिए आवश्यक सूचनाएँ

1. **प्रत्येक आवेदक को पूरी नियमावली पढ़ने के बाद ही आवेदन–पत्र को पूरी तरह से भरना चाहिए।** आवेदन–पत्र में जो भाग उनके लिए आवश्यक न हो उसे काट दें। माँगे गए विवरण को साफ–साफ लिखना आवश्यक है।

2. आवेदन–पत्र में दिया गया सारा विवरण सही और प्रमाण–पत्रों पर आधारित होना चाहिए।

3. आवेदन पत्र के साथ संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं की उत्तीर्णता के मूल प्रमाण–पत्र, अस्थाई प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) और अंतिम वर्ष की अंकसूची (संपूर्ण) की **अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ अवश्य** संलग्न करें।

4. आवेदन–पत्र के साथ माँगे गए प्रमाण–पत्रों की फोटो प्रति (जीरोक्स) भी संलग्न की जाएँ। उन्हें किसी राजपत्रित (गजेटेड) अधिकारी, मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, हाई स्कूल/ हायर सेकेंडरी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, लोकसभा अथवा विधान सभा के किसी सदस्य अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा अभिप्रमाणित कराएँ। आवेदक आवेदन–पत्र (हिंदी/ अंग्रेजी) में भरें तथा प्रवेश पत्र पर यथास्थान अपनी फोटो लगाएँ साथ ही एक अतिरिक्त फोटो आवेदन पत्र के साथ अलग से नत्थी करें।

5. आवेदन–पत्र के साथ पोस्टकार्ड नत्थी किया जाए जिस पर आवेदक का पता साफ–साफ लिखा हो, जो कि आवेदन–पत्र की प्राप्ति की सूचना देते हुए उसे वापस भेजा जाएगा। प्रवेश के संबंध में जब भी पत्र व्यवहार किया जाए, उस कार्ड पर दी गई पंजीकरण संख्या और तारीख लिखना आवश्यक है, अन्यथा पत्रोत्तर में देरी हो सकती है।

6. आवेदन–पत्र के साथ भेजे गए सभी प्रमाण–पत्रों की एक सूची संलग्न करना आवश्यक है।

7. **आवेदन–पत्र पंजीकृत (रजिस्टर्ड) या स्पीड पोस्ट डाक द्वारा–कुलसचिव, केंद्रीय हिंदी संस्थान, शैक्षिक एवं परीक्षा विभाग, आगरा–282005 के नाम पर भेजा जाए।**

8. **निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च तक प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर ही प्रवेश देने के संबंध में विचार किया जाएगा।**

इस नियमावली में दिए गए उपरिलिखित सभी नियमों में संस्थान हित को ध्यान में रखते हुए संस्थान के निदेशक द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन अथवा परिवर्धन किसी भी समय किए जा सकते हैं।

कुलसचिव
केंद्रीय हिंदी संस्थान,
आगरा–282005

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

संस्थान द्वारा संचालित हिंदी शिक्षण निष्णात, पारंगत, प्रवीण एवं विशेष गहन पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा के प्रश्न–पत्र का प्रारूप (मॉडल)

समय – 3 घंटे **प्रश्न**

(खंड–क)

विषय–सामान्य ज्ञान

लघु उत्तर वाले प्रश्न (एक वाक्य में)

1. मकबूल फिदा हुसैन क्यों प्रसिद्ध हैं? अंक–25 × 1 = 25 अंक

खंड–ख

विषय–शिक्षक अभिरुचि

लघु उत्तर वाले प्रश्न (एक वाक्य में)

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया गया है? अंक–25 × 1 = 25 अंक

खंड–ग

विषय–हिंदी भाषा एवं साहित्य

लघु उत्तर वाले प्रश्न (एक वाक्य में)

1. भारत में संविधान द्वारा स्वीकृत कितनी राष्ट्रीय भाषाएँ हैं? अंक–25 × 1 = 25 अंक

खंड–घ

विषय–हिंदी दक्षता परीक्षण

सार लेखन

प्रश्न 1. निम्नलिखित अवतरण का सार (सारांश) अपनी भाषा में लिखिए और इसका उपयुक्त शीर्षक दीजिए– अंक : 05

गांधी ने अपने अहिंसा सिद्धांत द्वारा भारत के राजनैतिक जीवन में जिस सरलता, पवित्रता और ऋजुता को लाने का प्रयत्न किया है, उसके संबंध में संदेह की जगह नहीं, और मानव जाति के जीवन के लिए जो महान संभावनाएँ दिखला दी हैं, उनका तो कहना ही क्या है। गांधी की शिक्षा आतंकवादी युवकों को सन्मार्ग पर लाने का आज एक प्रधान साधन है। केवल राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय उलझनों को सुलझाने में भी सत्याग्रह का सिद्धांत काम में लाया जा सकता

है। चाहे व्यक्तिगत व्यवहार हो, चाहे राष्ट्रीय और चाहे अंतर्राष्ट्रीय। गांधी बतलाते हैं कि यदि सत्य पर सदैव दृष्टि रखी जाए तो ऐसी स्थितियाँ आ ही नहीं सकतीं जो आदमी को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दे।

....

....

....

....

....

....

....

प्रश्न 2. दिए गए विषयों में से किसी एक पर अधिकतम एक सौ पचास (150) शब्दों में निबंध लिखिए– अंक : 10

उदाहरणार्थ–प्रदूषण की समस्या, राजभाषा हिंदी, छायावाद इत्यादि।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

प्रश्न 3. निम्नलिखित अवतरण का उपर्युक्त शीर्षक देते हुए पूरे अवतरण की व्याख्या कीजिए और उसमें रेखांकित अभिव्यक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। (2+4+4) अंक : 10

वस्तुओं का **सौंदर्य–तत्व** उनके **स्थूल उपयोग** से एक भिन्न गुण है। किंतु एक भिन्न दृष्टि से देखने पर सौंदर्य भी उपयोगी समझा जा सकता है। फूल, नदी, पर्वत, बच्चे, कविता और नारी सभी के सौंदर्य में एक **लक्षित प्रभाव** है जो हमारे भीतरी जीवन को पूर्ण करता है। प्रत्येक प्रकार के सौंदर्य को देखकर हमारे ह्रदय में एक विशिष्ट प्रकार की अनुभूति उत्पन्न होती है जिससे हमारा जीवन समृद्ध होता है।

(ख) उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

प्रश्न (1) क्या सौंदर्य और उपयोगिता एक ही गुण के दो पक्ष हैं?

प्रश्न (2) सौंदर्य को किस दृष्टि से उपयोगी मान सकते हैं?

....

....

....

....

....

....

संस्थान गीत

भारत जननी एक हृदय हो, भारत जननी एक हृदय हो,
एक राष्ट्रभाषा हिंदी में, कोटि–कोटि जनता की जय हो।
भारत जननी एक हृदय हो ॥ 1 ॥

स्नेह सिक्त मानस की वाणी, गूँजे गिरा यही कल्याणी,
चिर उदार भारत की संस्कृति, सदा अभय हो, सदा अजय हो।
भारत जननी एक हृदय हो ॥ 2 ॥

मिटे विषमता सरसे समता, रहे मूल में मीठी ममता,
तमस कालिमा को विदीर्ण कर, जन–जन का पथ ज्योतिर्मय हो।
भारत जननी एक हृदय हो ॥ 3 ॥

जाति–धर्म–भाषा विभिन्न स्वर, एक राग हिंदी में सजकर,
झंकृत करें हृदय तंत्री को, स्नेह–भाव प्राणों में लय हो।
भारत जननी एक हृदय हो ॥ 4 ॥

राष्ट्रगीत

जनगणमन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता!
पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा
द्राविड़, उत्कल, बंग;
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा
उच्छल जलधि–तरंग;
तब शुभ नामे जागे,
तब शुभ आशिष माँगे;
गाहे तव जय गाथा!
जन गण मंगलदायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता,
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे॥

॥ जय हिंद ॥

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

(प्रवेश आवेदन–पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में भरना अनिवार्य है)

सत्र 2010–11

पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाएँ जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो।

प्रवेश आवेदन–पत्र सं. ....

पंजीकृत संख्या ....

प्रवेश संख्या ....

1. पाठ्यक्रम जिसमें प्रवेश चाहते हैं

2. नाम (हिंदी में)
(महिलाएँ अपने नाम से पहले श्रीमती/ कु० अवश्य लिखें)

3. स्थायी पता (हिंदी में)
पुलिस स्टेशन सहित

4. पत्र व्यवहार का पूरा पता मोबाइल नं०

5. यदि अभ्यर्थी सेवारत है तो जिला या ब्लाक स्तर के शिक्षाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें

6. (अ) जन्म स्थान (ब) जिला (स) प्रदेश

7. जाति–अनुसूचित/जनजाति/पिछड़ी/सामान्य

8. जन्म तिथि (ईस्वी सन् में)

9. माता का नाम

10. पिता/पति का नाम

11. (अ) राष्ट्रीयता (ब) धर्म

12. (अ) स्त्री/पुरुष (ब) विवाहित/ अविवाहित (स) मातृभाषा (द) ग्रामीण/शहरी क्षेत्र

*13. शैक्षणिक योग्यताएँ	उत्तीर्णता का वर्ष	संस्था का नाम (बोर्ड/ विश्वविद्यालय)	श्रेणी	प्राप्तांक	पूर्णांक	हिंदी विषय में प्राप्तांक	परीक्षा विषय
(क) मैट्रिक/एस.एस.एल.सी.							
(ख) पी.यू.सी./इंटरमीडिएट							
(ग) बी. ए.							
(घ) बी. एड./ एल.टी./पारंगत							
(च) एम. ए.							
(छ) अन्य प्रशिक्षण							
(ज) हिंदी की योग्यता उपाधि का नाम							

14. आवेदक गंभीर, दीर्घ, संक्रामक रोग आदि से मुक्त है तथा पूरी तरह स्वस्थ है। इस आशय का अधिकारिक प्रमाण–पत्र संलग्न है।

....

आवेदक के पूरे हस्ताक्षर

कार्यालय के प्रयोगार्थ :

सभी आवश्यक प्रमाण–पत्र आदि देख लिए गए हैं। इन्हें.. ... पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है।

तारीख....................	**कार्यालय सहायक** **(प्रवेश)**	**प्रशासनिक अधिकारी** **(शै० परीक्षा)**	**रजिस्ट्रार**

प्रवेश दिया जाता है।

तारीख.................... **निदेशक**

---

* (अ) आवेदन–पत्र के साथ संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं की उत्तीर्णता के मूल प्रमाण–पत्र, अस्थाई प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) और अंक सूचियों की अभिप्रमाणित छाया–प्रतियाँ ही संलग्न करें।

(ब) प्रवेश के समय आवेदक को सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं के और अन्य आवश्यक मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

(स) संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा दिए गए अनुभव प्रमाण–पत्र तथा निवृत्ति प्रमाण–पत्र प्रवेश के समय लाना आवश्यक है।

(द) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी जाति प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

(च) बैंक ड्राफ्ट का विवरण : ड्राफ्ट संख्या... धनराशि रू0...

दिनांक.. बैंक का नाम...

विशेष :– संस्थान वेबसाइट से डाउनलोड किए गए फ़ार्म के साथ रु0 100/– (रूपये एक सौ) मात्र का बैंक – ड्राफ्ट, '' **सचिव केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा**'' के नाम बनवाकर संलग्न करना अनिवार्य है। ड्राफ्ट संलग्न न करने की स्थिति मे आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

Central Institute of Hindi, Agra

Year - 2010-11

Paste Passport size Photograph attested by Gazetted Officer

ADMISSION FORM..

Regd. No. ....

Admis. No. ....

1. Name of the course in which admission is sought

2. Name of applicant (in English)
(Woman applicant must write Smt./Km. before her name)

3. Permanent Address (In English)
with Police Station

4. Correspondence Address in full — Mobile No.

5. If the Candidate is in service he must attach a No objection Certificate from District or Block Level Education Officer

6. (i) Place of Birth (ii) District (iii) State

7. Date of Birth

8. Caste-Scheduled/ Scheduled Tribe / Backward/ General

9. Name of Mother

10. Name of Father/ Husband

11. (i) Nationality (ii) Religion

12. (i) Female/Male (ii) Married/ Unmarried (iii) Mother tongue
(iv) Rural/ Urban

*13. Educational Qualification	Year of Passing	Name of Institution (Board/University)	Division	Marks Secured	Total Marks	Marks obtained in Hindi	Subjects Offered
(i) Matrics/ S.S.L.C.							
(ii) P.U.C./ Intermediate							
(iii) B. A.							
(iv) B.Ed./L.T./Parangat							
(v) M.A.							
(vi) Hindi Qualification Name							

14. The applicant is not affected with the disease of serious, prolonged chronic nature and fully healthy. Certificate to this effect is enclosed issued by the Authorised/Competent authority.

....

Signature of the Candidate

For office Use only

All essential certificates etc. have been examined. He / she can be admitted to ....

Date...........................	Assistant Admission	Administrative-officer (Aca. Exam.)	Registrar

Admitted

Date Director

*(i)Certified true copies of only those certificates and marksheets must be attached to this application which are prescribed for the course.

(ii) The applicant must produce all the origional certificates at the time of admission (Education and others).

(iii) Experience Certificate and relieving certificate from the Principal of the Institution, where serving, are to be produced at the time of admission.

(iv) Candidates belonging to the SC, ST & OBC Category must attach Certified true copy of the Caste Certificate.

(v) Details of Bank Draft Draft No... Amount(Rs.)...

Dated.. Name of Bank..

Note - Application Forms download from the Sansthan's website must contain a Bank Draft Rs. 100\- (Rs. One Hundred) only, in favour of **' Secretary Kendriya Hindi Shikshan Mandal, Agra',** Application forms found without the bank draft will not be considered anyway.

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा द्‌वारा संचालित मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्तशासी संस्था

हिंदी संस्थान मार्ग, आगरा–282005 (उ० प्र०)

(हिंदी शिक्षण निष्णात/ पारंगत / प्रवीण / विशेष गहन)

प्रवेश परीक्षा–पत्र (सत्र: 2010–11)

1. प्रवेश परीक्षा केंद्र ....

2. अभ्यर्थी का नाम (हिंदी में) ....

   (अंग्रेजी में) ....

3. पिता / पति का नाम..

4. माता का नाम..

अभ्यर्थी अपना फोटो लगाएँ।

5. अभ्यर्थी का पत्र–व्यवहार का पूरा पता (पिन कोड सहित) ....

   ....

   ....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

5. प्रवेश–परीक्षा का प्रश्न पत्र

   खंड (क) सामान्य ज्ञान –25 अंक — खंड (ख) शिक्षण अभिरुचि परीक्षण –25 अंक

   खंड (ग) हिंदी भाषा एवं साहित्य – 25 अंक — खंड (घ) हिंदी दक्षता परीक्षण – 25 अंक

(प्रवेश–परीक्षा कार्यालय के द्‌वारा भरा जाएगा)

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक.................................

परीक्षा केंद्र का नाम (पूरा पता सहित)..

....

....

परीक्षा तिथि–...

परीक्षा समय–...

नोट– अभ्यर्थी इस प्रवेश परीक्षा पत्र को भरकर प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करके 31 मार्च तक भेजें।

(चंद्रकांत त्रिपाठी)
कुलसचिव

आवश्यक निर्देश–

1. क्रम संख्या 1 से 5 तक अभ्यर्थी को स्वयं भरने हैं।
2. इस प्रवेश–पत्र को परीक्षा केंद्र पर अवश्य लेकर आएँ अन्यथा परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा।
3. प्रवेश–पत्र में उल्लिखित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा हेतु उपस्थित हों।
4. प्रवेश परीक्षा संस्थान के दिल्ली/हैदराबाद/गुवाहाटी/मैसूर/ भुवनेश्वर/ अहमदाबाद केंद्रों पर आयोजित होगी।